निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 ज्येष्ठ 1940 (श0)

(सं0 पटना 503) पटना, वृहस्पतिवार, 31 मई 2018

सं० वि0-27पे0को0-35/2018-450

वित्त विभाग

संकल्प

30 मई 2018

विषय :- बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से अंतरिम राहत प्रदान करने के संबंध में ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं0-643/2015 में दिनांक 27.3.2018 को पारित आदेश में अधीनस्थ न्यायिक पदाधिकारियों हेतु द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वेतन एवं पेंशन पर अंतरिम राहत प्रदान करने का निदेश दिया गया है।

2. अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.03.2018 एवं द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से निम्नरूपेण अंतरिम राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है:-

(i) सभी कोटि/पद के सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों के मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन में तीस प्रतिशत (30%) वृद्धि के रूप में अंतरिम राहत का लाभ दिया जाएगा ।

(ii) अंतरिम राहत को पृथक घटक समझा जाएगा, जिस पर महंगाई भत्ता देय नहीं होगा। अर्थात महंगाई भत्ता का भुगतान मूल पेंशन (अंतरिम राहत को छोड़कर) पर ही जारी रहेगा ।

(iii) पेंशन पर अंतरिम राहत का भुगतान मई-2018 से आरंभ किया जाएगा। दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से बकाया राशि (Arrears) की गणना की जाएगी जिसका भुगतान 30.06.2018 तक कर दिया जाएगा।

(iv) अंतरिम राहत के रूप में भुगतान की गयी राशि का समंजन(Adjustment) अंतिम आदेश निर्गत होने के पश्चात यथाभुगतेय राशि के साथ किया जा सकेगा।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 503-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in